संख्या 1404/सत्तर–2–2024–16(11)/2017टी0सी0

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक: 11 जुलाई, 2024

विषयः–उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3050/सत्तर–2–2023–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 15.09.2023, शासनादेश संख्या–196/सत्तर–2–2024–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 31.01.2024, शासनादेश संख्या–407/सत्तर–2–2024–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 23.02.2024, शासनादेश संख्या–646/सत्तर–2–2024–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 01.04.2024, शासनादेश संख्या–835/सत्तर–2–2024–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 03.05.2024 एवं शासनादेश संख्या–1105/सत्तर–2–2024–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 06.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 15.09.2023, 31.01.2024, 23.02.2024, 01.04.2024 दिनांक 03.05.2024 एवं दिनांक 06.06.2024 के माध्यम से निर्गत समय–सारिणी में उच्च शिक्षा हित में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	----
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	----
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	----
4	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि	----
5	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि	----
6	निरीक्षण मण्डल का गठन.	दिनांक 16 जुलाई, 2024 तक। (1) अनापत्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात् संस्था द्वारा

24 Draft AB 160

		दिनांक 13 जुलाई, 2024 तक निरीक्षण मण्डल के गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2024 तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	**दिनांक 25 जुलाई, 2024 तक।**
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक 31 जुलाई, 2024 तक।**
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक 05 अगस्त, 2024 तक।**
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि.	**दिनांक 15 अगस्त, 2024 तक।**

3– शासनादेश दिनांक 15.09.2023, दिनांक 31.01.2024, दिनांक 23.02.2024, दिनांक 01.04.2024, दिनांक 03.05.2024 एवं दिनांक 06.06.2024 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे। कृपया उक्त समय–सारिणी का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1404(1)/सत्तर–2–2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय–सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
10. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

24 Draft AB 161